



पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

आवेदन की
अंतिम तिथि
30/06/2024

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए राज्य के 10 संचालित केन्द्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण (कोचिंग)

CAT/MAT तथा प्रबंधन से संबंधित
रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षा

विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा
यथा CLAT एवं न्यायालयिक सेवाएं

NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil
आदि प्रतियोगिता परीक्षा

प्रत्येक व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र पर 60–60 (कुल-120) छात्र छात्राओं के दो बैच (प्रशिक्षण अवधि—6 माह) संचालित कराये जाएंगे। उपलब्ध सीटों में पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत सीट अनुमान्य है। दोनों कोटियों में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य है।

छात्र/छात्राओं के लिए सुविधा:-

- छात्र-छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर ₹ 3,000/- (तीन हजार रुपये) मात्र की दर से प्रोत्साहन राशि।
- डिजिटल अध्ययन केंद्र।
- केंद्रस्तरीय पाक्षिक एवं राज्यस्तरीय जाँच परीक्षा।
- उन्नत पुस्तकालय।
- प्रेरणा एवं मार्गदर्शन सत्र।

पात्रता:-

- छात्र/छात्राएं बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
- पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
- छात्र/छात्र की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹ 0–3,00,000/- तक होनी चाहिए।
- छात्र/छात्र की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए

आवेदन कैसे करें :-

- विहित प्रपत्र में पूर्ण आवेदन-पत्र तथा दिशा-निर्देश <https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html> से डाउनलोड किया जा सकता है।
- योजना से संबंधित संचालित केंद्रों की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।